

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1573
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

अक्षय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि

1573. डॉ. राजेश मिश्रा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने की योजना बना रही है जो कि ताप ऊर्जा की तुलना में स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास नवीकरणीय ऊर्जा के स्व-उत्पादन और खपत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग परिवारों के लिए बजटीय सहायता है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

देश में गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता वर्ष 2014 में 81.16 गीगावाट (कुल क्षमता का 33 प्रतिशत) से बढ़कर दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, 203.19 गीगावाट (कुल क्षमता का 45.5 प्रतिशत) हो गई है।

- (ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (मई तक) के दौरान अक्षय ऊर्जा उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2024-25 के दौरान 244 बिलियन यूनिट (बीयू) के अक्षय ऊर्जा उत्पादन (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर) का आकलन किया है।

- (ग) और (घ): सरकार ने फरवरी, 2024 में 75,021 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना द्वारा अपनी बिजली उत्पन्न करके ग्रामीण क्षेत्रों सहित एक करोड़ आवासीय परिवारों को सशक्त बनाने के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

'अक्षय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1573 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों (बड़ी जल विद्युत सहित) से उत्पादित विद्युत का राज्य-वार ब्यौरा

(मिलियन यूनिट में [एमयू])					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (मई तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34.77	37.88	39.50	6.11
2	आन्ध्र प्रदेश	18776.44	20159.49	18837.67	2885.26
3	अरुणाचल प्रदेश	4163.41	4845.79	4280.73	566.55
4	असम	798.34	760.61	995.96	210.95
5	बिहार	239.83	288.85	342.08	48.02
6	चंडीगढ़	14.19	12.61	11.70	2.09
7	छत्तीसगढ़	2342.34	2240.42	2799.20	562.34
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	96.83	30.62	28.86	5.43
9	दिल्ली	458.73	530.20	728.81	138.02
10	गोवा	16.82	19.96	67.95	10.87
11	गुजरात	27461.04	35895.77	43039.55	8784.04
12	हरियाणा	1135.42	1419.73	1651.50	351.72
13	हिमाचल प्रदेश	38503.40	41579.81	38952.37	7318.26
14	जम्मू और कश्मीर	17489.83	17170.62	16282.93	3580.65
15	झारखंड	576.67	327.57	219.96	24.97
16	कर्नाटक	42570.74	42731.82	39499.72	5749.46
17	केरल	10932.06	9935.26	7359.96	1456.68
18	लद्दाख	405.98	402.78	388.48	56.12
19	लक्षद्वीप	0.30	0.10	0.09	0.02
20	मध्य प्रदेश	13403.45	16181.79	16099.80	3165.08
21	महाराष्ट्र	21853.02	23100.88	24029.90	4300.99
22	मणिपुर	462.20	486.77	307.14	44.74
23	मेघालय	886.50	1052.41	875.13	128.17
24	मिजोरम	165.53	266.40	217.74	27.94
25	नागालैंड	164.02	289.32	246.61	13.84
26	ओडिशा	6311.73	6654.91	7423.92	1019.80
27	पुडुचेरी	12.24	12.24	12.24	2.04
28	पंजाब	6951.88	8569.23	8798.82	1253.82
29	राजस्थान	24581.15	41957.48	48162.93	9858.64
30	सिक्किम	11506.25	11709.14	8622.21	162.84
31	तमिलनाडु	29273.35	33592.22	33166.59	4621.51
32	तेलंगाना	12972.52	13439.96	8752.39	1419.97
33	त्रिपुरा	7.62	6.58	7.01	1.07
34	उत्तर प्रदेश	7731.62	8191.22	8052.23	1283.11
35	उत्तराखंड	15204.45	16368.16	14850.17	2135.60
36	पश्चिम बंगाल	5034.93	5382.85	4736.88	644.78
	कुल	322539.63	365651.45	359888.76	61841.48

(स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)

'अक्षय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1573 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का विवरण

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार उपलब्ध सीएफए			
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना	इस योजना के तहत "आवासीय उपभोक्ताओं को सीएफए" घटक के लिए सीएफए पैटर्न का ब्यौरा इस प्रकार है:-			
	क्र.सं.	आवासीय खंड का प्रकार	सीएफए	सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
	1	आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)	30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक
	2	आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक
3	आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	
